न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास ,राजस्व लोक अदालत केम्प जालिमपुरा

मि0न0 :– 201 / 14

रामीबाई उम्र 68 वर्ष पत्नी नारायण जाति गूजर निवासी पितामपुरा तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

– वादीनी

बनाम

1– छीतरलाल पुत्र लालू जाति मेधवाल

2– भूलीबाई पत्नी छीतरलाल जाति मेधवाल

3– शिवप्रसाद पुत्र पाथूलाल जाति मीणा निवासीगण पितामपुरा तह0 सांगोद,जिला कोटा (राज0)

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा – 88,89, आरटीएक्ट

– निर्णय –

दिनांक 06.06.2015

वादीनी द्वारा जर्ये एडवोंकेट श्री अशोक कुमार जैन एक वाद इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी के खाते व कब्जे की ग्राम पितामपुरा पटवार क्षैत्र जालिमपुरा तह0 सांगोद हाल तहसील कनवास में ख.न. 457 की 0.85 है0 व ख.न. 518 की 0.24 है0 कृषि भूमि स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीनी के खाते मे दर्ज होकर वादीनी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में है वादीनी अपने पुत्र व पति की सहायता से उक्त कृषि भूमि को काश्त करती है।

वादीनी के खाते की ख.न. 457 की कृषि भूमि के सटवा उत्तरी तरफ ख.न. 446 की 0.48 है0 कृषि भूमि जो राजस्व रेकार्ड में उदालाल पुत्र भूरा,मोडीबाई,रूकमाबाई,पुत्रिया भूरा,चन्द्रीबाई बेवा भूरा जाति गूर्जर निवासी पितामपुरा के नाम सें स्थित है। इसी प्रकार वादीनी के खाते की ख.न. 457 की कृषि भूमिमम के सटवा ही उत्तरी तरफ ख.न. 447 की 1.

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

07 है0 कृषि भूमि स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न0 3 व उसकी बहिनों के नाम सें राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसका उपयोंग उपभोग प्रतिवादी क्र.3 कर रहा है। वादीनी व प्रतिवादीगण के कब्ते काश्त की आराजी के मध्य मौके पर पत्थरों का कोट हो रहा है जिसे लगभग 5–6 माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीनी के खाते की ख.न. 457 की 0.85 है0 कृषि भूमि की तरफ बढाकर प्रतिवादीगण ने वादीनी के खाते की खसरा न. 457 की 0.85 है0 कृषिभूमि मे सें लगभग 0.13 है0 कृषि भूमि पर ख.न. 446 व खन. 447 की दक्षिणी मेड के सहारे पूर्व पश्चिम लम्बाई में. अनाधिकृत रूप सें कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण को कोट सीधा करने बाबत् समझाया गया परन्तु प्रतिवादीगण तैयार नही हुऐं।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व कृर्षि भूमि सें निष्कासन की डिकी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को वादीनी के खाते की गम्राम पितामपुरा तह0 सांगोद हाल कनवास की ख.न. 457 की 0.85 है0 भूमि की उत्तरी मेड की 0. 13 है0भूमि जो ग्राम पितामपुरा की ख.न. 446 व 447 की दक्षिणी मेड के सटवा पूर्व पश्चिम लम्बाई में स्थित है से बेदखल किया जाकर वादीनी को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा की गई भूमि पर रिक्त आधिपत्य दिलावा जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रकरण में राजस्व लोक अदालत शिविर जालिमपुरा में पेश हुआ । प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण लोक अदालत शिविर केम्प कोर्ट जालिमपुरा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अवगत करवाया की प्रकरण में हम कोई कार्यवाही नही चाहते है। हमारे बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। इस प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त फरमावें ।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामाबाद तस्दीक शा0फा0 किया जावें। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रकरण में कोई कार्यवाही न चाहने पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर जालिमपुरा केम्प कोर्ट में आमजन के बीच सुनाया गया ।

अम्बालाल मीणा (आर0ए.0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास